

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1778

दिनांक 10 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम

1778. श्री तापिर गावः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;
- (ख) क्या आज की तिथि तक राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम क्रियाशील हो चुका है;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या अब तक कोई लेन-देन हुआ है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): बजट घोषणा, 2021 के अनुसरण में और मंत्रिमंडल की 09.03.2022 को दी गई मंजूरी के आधार पर, "राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम" (एनएलएमसी), को भारत सरकार की 100% स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में, 03.06.2022 को लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नीचे वर्णित टिप्पणियों के साथ निगमित किया गया:

- i. भारत सरकार की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कार्यनीतिक विनिवेश और परिसमापनाधीन सीपीएसई की गैर-प्रमुख सम्पत्तियों का स्वामित्व, धारण और मुद्रीकरण करना।
- ii. अविलयन की गई कम्पनियों, अन्य सीपीएसई, सरकारी विभागों, सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, निगमों आदि के मामले में अधिशेष और कम उपयोग हुई गैर-प्रमुख परिसम्पत्तियों के मुद्रीकरण पर सलाह और सहायता प्रदान करना।

(घ): एनएलएमसी ने विशाखापट्टनम स्थित आरआईएनएल की संपत्ति जिसका संचयी लेनदेन मूल्य 242.88 करोड़ रूपये है और विभूति खंड लखनऊ स्थित बीएसएनएल का भूखंड जिसका संचयी लेनदेन मूल्य 226 करोड़ रूपये है की ई-नीलामी की परामर्श सेवा प्रदान की है और उसके चरण-1 को सफलतापूर्वक पूरा कराया।
